12-12-15

पत्रावली पेश हुयी बतलाय आदेश। मूल वाद निर्णीत हो जाने से इस प्रा०पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।

Scanned by CamScanner